राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
58वीं बैठक दिनांक 09, सितम्बर, 2016
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 58वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को श्री हरीश रावत, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून, ओ.आई. सी, नाबार्ड; मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, समस्त बैंक एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री आलोक चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, मुख्य सचिव, सचिव (वित्त) उत्तराखंड शासन, राज्य के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों, एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की **58वीं बैठक** में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।

बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन ने अपने पत्र संख्या 623/XVIII(1)/2016-17 (21)/2016 दिनांक 02 जून, 2016 द्वारा बैंक ऋण का प्रभार ऑन-लाइन दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, राज्य सरकार ने सूचित किया कि केबिनेट द्वारा स्वीकृति के पश्चात अधिसूचना जारी करवा दी जायेगी ।

वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग :

सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अभी तक जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान जिला स्तर पर सी.आर.ए. कार्यालय (राजस्व विभाग) से दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करें, ताकि आर.सी. की ऑन-लाइन फाइलिंग प्रक्रिया आरम्भ करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

इस सम्बन्ध में एन आई सी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ।

आरसेटी :

शासन द्वारा अवगत कराया गया कि रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत जिले में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी ।

विभिन्न आरसेटी संस्थानों के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान **1,774** बी.पी.एल. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने में किए गए कुल खर्च रु0 **25,57,000 /- के भुगतान** संबंधी प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया गया है तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होते ही व्यय राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करवा दी जाएगी ।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभिन्न आरसेटी भवनों के निर्माण में लगने वाले भूमि विकास प्रभार (Land Development Charges) से मुक्त रखा जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

इस संबंध में निदेशक वित्तीय सेवाए विभाग भारत सरकार ने बैंको को निर्देशित किया कि लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण तुरंत किया जाए । तथा सभी लंबित आवेदन पत्रों का अवधि के अनुसार **(Age-wise pending position of applications)** विवरण उपलब्ध होना चाहिए ।

<u>एस.एच.जी. - स्टॉम्प शुल्क में छूट :</u>

शासन द्वारा सूचित किया गया **कि रु० 5 लाख** तक के वित्तपोषित एस.एच.जी. को कृषि ऋणों की भाँति **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा ।

<u>डिजीटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. - ई. शक्ति</u> :

इस संबंध में जिला अग्रणी बैंक अधिकारी देहारादून को निर्देशित किया गया कि **दिनांक 30 सितंबर 2016 तक** वित्तपोषित एस.एच.जी. का समस्त डाटा नाबार्ड को उपलब्ध करा दिया जाये जिससे कि वेब पोर्टल पर डाटा अपलोड हो सके ।

<u>कृषि सूखा से प्रभावित क्षेत्रों हेतु कार्य योजना</u> :

उत्तराखंड शासन द्वारा अपने ज्ञापन संख्या 1025/XVIII-(2)/16-15(34)2013 दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा राज्य के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल को कृषि सूखे से प्रभावित घोषित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि एक उप समिति का गठन किया जाये जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे । इसके अतिरिक्त सूखा प्रभावित जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि जनपद के जिलाधिकारी, बैंकों तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर 15 सितंबर, 2016 तक डी सी सी बैठकों का आयोजन कर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु उचित कार्ययोजना तैयार करें।

<u>फसल बीमा योजना</u> :

भारत सरकार द्वारा जारी "**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** के अंतर्गत बैंकों द्वारा लक्ष्यों से अधिक बीमा करने पर शासन द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया ।

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट :

निदेशक वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि इस संबंध मेँ समयबद्ध कार्य योजना बनाकर सोलर वी सेट यथाशीघ्र स्थापित किये जाएं ।

एम.एस.एम.ई. ऋण

मा. मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षा अनुसार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में **17 क्लस्टर** को चिहिन्त किया है जिनमें क्षेत्र विशेष आधारित क्रियाकलाप जैसे - जूट एवं ऊनी उत्पाद, जरी एवं अन्य कढ़ाई, कपड़ों पर ब्लॉक प्रींटिंग, रेशम उद्योग, बैंत और बॉस उत्पाद, कारपेट एवं फूड प्रोसेसिंग आदि हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जाना है। इस हेतु शासन द्वारा सभी बैकों को निर्देशित किया गया कि सभी बैंक दो क्लस्टर को अंगीकृत कर अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करें। एम.एस.एम.ई॰ के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सभी बैंकों को उच्च स्तर पर प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना

निदेशक वित्तीय सेवाए विभाग भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अत्यंत धीमी प्रगति पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी बैंकों को निर्देशित किया कि कैंप मोड मेँ योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किये जाएँ तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये ।

स्टैण्ड अप इण्डिया :

उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य 4414 के सापेक्ष केवल 60 आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है । इस संबंध मेँ निदेशक वित्तीय सेवाए विभाग भारत सरकार तथा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि सभी बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के दायरे में आने वाले वर्ग विशेष को चिन्हित कर, उन्हें ऋण प्रदान करें तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें ।

<u>माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए निर्देश</u>

- माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सर्व प्रथम सभी आगंतुकों को हिमालय दिवस पर शुभकामनायें दी गईं तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ दिलवायी गयी।
- समस्त बैंकों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों मेँ शाखाएँ खोलने हेतु तथा बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास करें।
- ऋण प्रदान करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये ।
- स्वयं सहायता समूह विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करने मेँ तेजी लायी जाये ।
- ऋण आवेदनों को कम संख्या मेँ वापस किया जाये ।
- स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत बैंक, उद्योग विभाग, राज्य शासन तथा इंडस्ट्रीज़ असोशिएशन आपस मेँ समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ साधारण जन समुदाय तक पहुंचाये ।

अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 58वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों की ओर से आश्वासन दिया कि अधिक से अधिक ऋण वितरित कर, राज्य में ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी करेंगे।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये और मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया।

****